विदेशी बैंकों से भारतीय धन वापस लाने हेतु नये कानून की पहल

फ्लोटिंग वारंट अवधारणा

निजी एवं एनजीओ क्षेत्र में घूसखोरी रोधी विधेयक

(संस्करण 1.3)

लेखक

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

आर्थिक विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता

भ्रष्टाचार के विरूद्ध... युवा
YOUTH...AGAINST CORRUPTION

YOUTH AGAINST CORRUPTION

Chhatra Shakti Bhawan

690, Ground Floor, Gali No. 21, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005

Cell : +91-90132 25992 E mail : info@youthagainstcorruption.net

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विभिन्न चर्चाओं में इन दस्तावेजों पर सहमति प्रेषित करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची	1
2.	प्रस्तावना श्री सुनील आंबेकर द्वारा	3
3.	कानूनी संशोधन की पृष्ठभूमि	5
4.	Current Assessment of the situation in the Country Solutions & Way forward	9
5.	YAC की इंडिया इंटरनेशनल सैंटर में इस विषय पर आयोजित चर्चा पर रिपोर्ट श्री सुनील बंसल द्वारा	11
6.	चोरीशुदा सम्पत्ति की बरामदगी पर आगे की कार्ययोजना के लिए सिफारिशें	13
7.	फ्लोटिंग वारंट अवधारणा – अमेरिका में जॉन डो लॉ मुकदमे का प्रारूप	15
8.	निजी एवं एन.जी.ओ. क्षेत्र में घूसखोरी रोधी विधेयक (संस्करण 1.3)	17
9.	प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि	25
10.	इंडिया इंटरनेशनल सैंटर में आयोजित चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिन्दु	27
11.	लेखक परिचय	

© **Centre for Equity and Economic Research,** May 2012

Any portion can be reproduced for non-commercial Purposes, acknowledging the source and the author.

Disclaimer :

Published for Youth Against Corruption (YAC). The views expressed in the documents are the opinion of the authors. We have tried to be comprehensive with regards to references, wherever possible.

विभिन्न चर्चाओं में इन दस्तावेजों पर सहमति प्रेषित करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	नाम	पद एवं संस्था का नाम
1.	सुनील आंबेकर	राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ए.बी.वी.पी.
2.	गोपाल कृष्ण अग्रवाल	आर्थिक विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता
3.	वेद प्रताप वैदिक	वरिष्ठ पत्रकार
4.	प्रकाश जावड़ेकर	संसद सदस्य
5.	जगदीप धनकर	वरिष्ठ अधिवक्ता
6.	प्रोफेसर इन्द्रमोहन कपाही	नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट
7.	अरविन्द केजरीवाल	इंडिया अगेंस्ट करप्शन
8.	किरण वेदी	इंडिया अगेंस्ट करप्शन
9.	जस्टिस पर्वथा राव	पूर्व न्यायाधीश
10.	जस्टिस रामा जोएस	पूर्व न्यायाधीश
11.	जोगेन्द्र सिंह	पूर्व निदेशक, सी.बी.आई.
12.	सुभाष चन्द अग्रवाल	सदस्य, ऐसोचेम मैनेजिंग कमेटी
13.	प्रोफेसर राकेश सिन्हा	मानद निदेशक, भारत नीति प्रतिष्ठान
14.	बलदेव भाई शर्मा	सम्पादक, पांचजन्य साप्ताहिक
15.	अनिल शर्मा	अध्यक्ष, बी.वी.एस.एस.
16.	सुनील बंसल	राष्ट्रीय संयोजक, यूथ अगेंस्ट करप्शन
17.	रवि विज	पूर्व अध्यक्ष, पी.एच.डी.
18.	प्रवीण कान्त	अध्यक्ष, समर्थ शिक्षा समिति
19.	अनिल गुप्ता	संगठन सचिव, बी.वी.एस.एस.
20.	डॉ. जे पी गुप्ता	ऑर्ट ऑफ लीविंग
21.	कैलाश गोदुका	महासचिव, जलाधिकार

22.	मीनाक्षी लेखी	अधिवक्ता एवं प्रवक्ता (दिल्ली प्रदेश), भा.ज.पा.
23.	विजय मेहता	सदस्य, पी.एच.डी. मैनेजिंग कमेटी
24.	वी.डी. अग्रवाल	चार्टर्ड एकाउंटेंट
25.	राजीव काकरिया	सामाजिक कार्यकर्ता
26.	उमेश दत्त	अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
27.	राजेश गोगना	महासचिव, ह्यूमेन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल
28.	अवनीश माटा	सचिव, भारतीय वित्त सलाहकार समिति
29.	रजनीश गोयंका	राष्ट्रीय संयोजक, इंडस्ट्री सैल, बी.जे.पी.
30.	रश्मि सिंह	राष्ट्रीय सह–संयोजक, यूथ अगेंस्ट करप्शन
31.	श्रीरंग कुलकर्णी	राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

प्रस्तावना

विदेशी बैंकों से भारतीय धन वापस लाने हेतु नये कानून की पहल एवं सार्वजनिक बहस का आवाहन

विदेश में स्थित बैंकों में गुप्त रीति से कई भारतीयों ने करोड़ों का अवैध रीति से कमाया हुआ धन रखा है। बरसों से यह धंधा चलता रहा है एवं आज भी ऐसे कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। एक विश्वसनीय आंकलन के अनुसार कम से कम 20 लाख करोड़ का भारतीय धन आज विदेशों में स्थित बैंकों में सड़ रहा है। कई अन्य आकलन यह आंकड़े कई गुना होने का दावा कर रहे हैं ।

भ्रष्टाचार के बोफोर्स या वर्तमान के राष्ट्रमंडल व 2जी जैसे घोटालों से हुई कमायी इन्हीं बैंकों में जमा होती है। विदेशों के बैंकों में करोड़ों रूपये का धन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। इसलिए भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा व उसे भविष्य में होने से रोकने के तत्काल उपाय यह समय की आवश्यकता है ।

यह इतना बड़ा धन है कि जो हमारा है तथा इसके वापस आने से हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। इन पैसों से करोड़ों लोगों के जीवन से अभाव दूर किया जा सकता है ।

यह धन वापस लाने की प्रक्रिया कई देशों ने पहले ही प्रारम्भ कर दी है तथा कुछ देशों ने सफलता भी पायी है। लेकिन उसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को हमारे देश की सरकार लगातार टाल रही है। यह सब भ्रष्टाचारियों के समर्थन का रवैय्या है।

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल (CA) ने काफी परिश्रमपूर्वक इस प्रक्रिया पर कई वर्षों से अध्ययन किया है । वे स्वयं कानूनी एवं आर्थिक विषयों के ज्ञाता हैं तथा जमीनी तौर पर आम भारतीयों की पीड़ा को भी भलीभांति जानते हैं। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल द्वारा इस विषय पर यह शोधपूर्ण आलेख एवं विशेष रूप में आवश्यक नये कानून का प्रारूप प्रकाशित करते हुए सार्थकता का अनुभव हो रहा है । इस प्रयास में उनके साथी श्री अनिल शर्मा का भी उल्लेख महत्वपूर्ण है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यह प्रस्तावित नया कानून 'निजी एवं एन.जी.ओ. क्षेत्र में घूसखोरी रोधी विधेयक, 2011' जनता के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा है। यह सरकार की किसी भी समिति के पूर्व हम जनता के विचारार्थ रख रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि विषय की गंभीरता को ध्यान में रखकर आप अपने सुझाव दें एवं अपने मित्रों को सुझाव देने हेतु प्रेरित करें।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आन्दोलन को व्यापक करने हेतु घोषित मंच YOUTH AGAINST CORRUPTION (YAC - भ्रष्टाचार के विरूद्ध युवा) भी इस प्रस्तावित कानून की बहस को आगे बढ़ायेगा ।

आशा है हम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे ।

दिनांक : 18 मई, 2012
दिल्ली

सुनील आंबेकर
राष्ट्रीय संगठन मंत्री
अ.भा. विद्यार्थी परिषद
ambekarsunil@gmail.com
मो. : 09422323942

भ्रष्टाचार निरोधक कानूनी संशोधन की मांग की पृष्ठभूमि

देश में घटित विभिन्न घोटालों के खुलासे और उनपर तत्परता से कार्रवाई करने में सरकार की विफलता ने हमारी अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को सामने ला दिया है। देश में जबरदस्त भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय तानेबाने को जडों से कुतर रहा है। वे दिन गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे देशवासी विश्वास से लबरेज थे और पूरी दुनिया के साथ हम उभरते भारत की बात कर रहे थे। सबकुछ ठीक था और हम गुंजायमान लोकतंत्र, युवा ताकत, सेवा क्षेत्र में तेजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, विशाल घरेलू बाजार और हम दुनिया भर में कुछ करके दिखा सकते हैं की बात करते थे। हममें विश्व से मुकाबला करने का जोश था। हम 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाले थे। फिर क्या ऐसा गलत क्यो हो गया कि हमारी धारणा कमजोर हो गई। व्यावसायियों का विश्वास डगमगा गया। दुनिया भारत में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को लेकर दुख प्रकट कर रही है। वास्तव में प्रशासन में भारी खामी पैदा हो गई है।

नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाती है, लेकिन सरकार योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक संस्थान की प्रतिष्ठा गिरा रही है। देश इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है। आम लोगों को लूटने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर नए नए और अनूठे तरीके निकाल कर उन्हें अपनाया जाता है।

भ्रष्टाचार विश्वभर में मौजूद है। वैश्विक कूटनीति में कहा जाता है कि राज्याधिकार भ्रष्ट करता है। लेकिन विश्व में कहीं भी एक बार भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में वह इस्तीफा मात्र देता है और मामला लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं और अंतत सबूत की कमी से वह दोषी साबित नहीं हो पाता है और इस तरह से वह लूट के धन के साथ आनंद के साथ जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था दंतविहीन है।

केंद्र स्तर पर, हमारे देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता विभाग और केंद्रीय जाँच ब्यूरो हैं। के.स.आ. और सतर्कता विभाग किसी भ्रष्टाचार मामले के अनुशासनात्मक पहलू को सुलझाती है और सीबीआई इसके आपराधिक पहलू से निपटती है।

के.स.आ भारत सरकार की सबसे ऊँची संस्था है जो सतर्कता संबंधी समस्याओं और केसों से निपटती है। हालाँकि जितनी अधिक संख्या में समस्याएँ आती हैं उनसे निपटने के लिए इसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह एक केवल सलाहकार समिति है। के.स.आ, सीधे तौर पर जिन केसों की जाँच कर रही होती है उनमें यह सिर्फ सरकार को केवल सलाह दे सकती है। के.स.आ. इन केसों को अपने मासिक रिपोर्ट और संसद के लिए वार्षिक रिपोर्ट में जिक्र करती है।

सीबीआई एक पुलिस स्टेशन की तरह कार्य करती है। यह जाँच कर सकती है। एफआईआर दर्ज कर सकती है। यह किसी भी केंद्र सरकार के विभाग से संबंधित केस की जाँच स्वयं कर सकती है या उन केसों को जो कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित होती हैं। सीबीआई प्रशासनिक तौर पर केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। इसकी विश्वसनियता इससे प्रभावित हुई है।

इसलिए यदि एक नागरिक अगर कोई भ्रष्टाचार संबंधी समस्या, जो कि किसी राजनीतिज्ञ या किसी अधिकारी के खिलाफ है, दर्ज कराना चाहे, तो कोई भी ऐसी भ्रष्टाचार–निरोधक एजेंसी नहीं है जो प्रभावशाली और सरकार से स्वतंत्र हो। सीबीआई के पास अधिकार तो है परन्तु यह स्वायत्त संस्था नहीं है। वहीं के.स.आ. स्वतंत्र तो है परन्तु इसके पास पर्याप्त अधिकार और संसाधन नहीं हैं।

राज्यों में, स्थिति तो और भी खराब है। राज्यों की सभी सतर्कता विभाग या एजेंसी और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियाँ सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन है और इसलिए ये अपने राजनीतिक दादाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की निष्पक्ष जाँच में प्रभावहीन रहते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था की व्यवस्था है। परन्तु ये लोकायुक्त अपने आप कोई भी जाँच नहीं शुरू कर सकती है। एक निश्चित स्तर के ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ जाँच के लिए इन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

भ्रष्टाचार विश्व भर में मौजूद है। लेकिन विश्व में कहीं भी भ्रष्ट व्यक्ति एक बार पकड़ा जाता है तो उसे दंडित किया जाता है और उसकी संपत्ति जप्त कर ली जाती है। भ्रष्टाचार की स्पष्ट परिभाषा के साथ सख्त दंड के प्रावधान ही एक मात्र उपाय है। आज समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के क्षेत्र में भी बुरी है। दि हिंदू में जीएफआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हर 24 घंटे औसतन करीब 240 करोड़ रुपये अवैध धन भारत से बाहर जा रहा है। क्या भारत इस पूंजी के नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है।

हमारे पास कोई उचित कानून या ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है जिससे विदेशों में जमा अवैध धन को वापस लाया जा सके या विदेशों में धन जमा करने पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार में न केवल इच्छाशक्ति की कमी है, बल्कि वह छलावा कर रही है और दोषी लोगों को बचा रही है। सरकार का इरादा तब और स्पष्ट हो जाता है जब वह इसे अपराध का पैसा और राष्ट्र की चोरीशुदा संपत्ति के बजाय एक कर –चोरी के मुद्दे के तौर पर वर्गीकृत करती है।

यह मात्र एक कर चोरी का मुद्दा नहीं है जैसा कि सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है, बल्कि एक आपराधिक करतूत है और सरकार की सही मंशा होती और वह इस पैसे को वापस लाना एवं इसे बढ़ावा देने से रोकना चाहती तो वह इस दिशा में कदम उठा सकती थी।

अमेरिका और कई अन्य देशों ने सिद्ध कर दिया है कि घूसखोरी की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। अमेरिकी अदालतों ने ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया है और बड़ी कंपनियों को घूसखोरी का दोषी पाया है। इसने नए कानून बनाकर लेखा मानकों को सख्त किया है। जबरदस्त जन आक्रोश के चलते ब्रिटेन को 2010 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे दुनिया में सबसे सख्त रिश्वतखोरी रोधी कानून कहा जाता है। भ्रष्टाचार क्या हैं, इसकी स्पष्ट परिभाषा के साथ ही सख्त दंड एवं कारावास, संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है।

विदेशी बैंकों व देशों में जमा भारतीय धन को वापस लाना एक थकाउ प्रक्रिया है जिसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के कडे प्रयासों और समय की जरूरत है। हमें अभी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे। इसके अलावा, मुद्दा केवल विदेशी बैंकों में पहले से जमा भारतीय धन को वापस लाने का नहीं है, बल्कि भारत से आगे यह धन और न निकले इस पर रोक लगाने की व्यवस्था करने का है। हमारा लक्ष्य भ्रष्ट एवं आपराधिक गतिविधियों के जरिए पैदा हुए धन (जैसे सत्ता नौकरशाहों एवं अन्य लोगों द्वारा लिए गए घूस, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव एवं हथियारों की तस्करी, फिरौती और संगठित अपराधों से पैदा हुए धन) को जब्त करना और इसे वापस लाकर विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल करना होना चाहिए।

विदेशी बैंकों से भारतीय धन वापस लाने की प्रक्रिया में पहचान, जांच, जब्ती, अंतरराष्ट्रीय परस्पर कानूनी सहयोग, विदेशों में मुकदमा चलाने की व्यवस्था और व्यक्ति को स्वदेश भेजने की प्रणाली इजाद करने जैसे कदम शामिल हैं। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परस्पर कानूनी सहयोग सबसे अहम है, भारत को भ्रष्टाचार पर यूएन संधि, अंतरराष्ट्रीय कारोबारी लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी से लड़ने पर ओईसीडी संधि जैसी विभिन्न संधियों में सुधार कर भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, हमें इन संधियों की जरूरतों के मुताबिक, अपने संबंधित कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। हमें चोरीशुदा संपत्तियों की बरामदगी के लिए काम कर रही विभिन्न सरकारों एवं गैर सरकारी एजेंसियों के अनुभवों का लाभ लेने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। StAR (stolen asset recovery initiative) पहल के तहत तकनीकी सहयोग से हमें न केवल संपत्ति बरामदगी प्रक्रिया की बारिकियां समझने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में ही कौशल विकास करने का अवसर भी उपलब्ध होगा। कर चोरी के पनाहगाह बने गोपनीय अधिकार क्षेत्र वाले देशों के साथ दोहरा कर बचाव संधियां करने से हमें ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उनके बारे में सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी जिन्होंने गोपनीय खातों में भारी मात्रा में धन जमा कर रखा है। संदिग्ध लेनदेन की रपटों के लिए सूचनाएं एकत्र करने, मिलान करने और उनका विश्लेषण करने के लिए अन्य वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ बातचीत हेतु यह बहुत महत्वमपूर्ण है कि हमारी वित्तीय खुफिया इकाई मजबूत हो और उसके पास बड़ी संख्या में दक्ष लोग हों। कर सलाहकारों समेत वित्तीय प्रणाली के अन्य

लोगों पर एसटीआर (suspicious transaction reporting) के जरिए सूचना जमा करने की अनिवार्यता लागू की जा सकती है। अभी तक मिले अनुभव के आधार पर संदिग्ध सौदों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कर चोरी के पनाहगाह बने देश एवं अन्य अधिकार क्षेत्रों में बैंक खाते रखने वाले लोगों का नाम हासिल करने में जॉन डो वाद (John Doe lawsuit) का अमेरिकी अनुभव काफी उत्साह पैदा करने वाला है। वास्तव में अमेरिका ने हाल ही में इसे और प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए इसमें और संशोधन किया है। हमें भी अपने संबंधित कानूनों में इस तरह के प्रावधान करने चाहिए। भारत को निजी क्षेत्र में घूसखोरी पर अब भी कानून बनाना बाकी है जिसमें कारोबार या पेशे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर घूस देने या लेने को एक आपराधिक गतिविधि मानी जाए। ऐसा देखा गया है कि भारत में कारोबारी इकाइयों ने कर चुराने के लिए कर चोरी के पनाहगाह बने देशों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों द्वारा इस तरह के दुरूपयोग से सख्ती के निपटने के लिए हाल ही में स्टॉप टैक्स हैवेन एब्यूज एक्ट (stop tax haven abuse act) नाम से एक कानून पारित किया है। हमें भी इसी तरह के कानून लाने चाहियें।

इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल जैसी स्वतंत्र संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोकपाल बिल जारी किया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होता संघर्ष अभी आगे भी है। हमनें इस विशय में गहन अध्ययन किया है और Research report भी निकाले है और Draft legislation बनाये है।

इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों एवं उनकी आवश्यकता पर आपकी राय अति आवश्यक है ताकि यह संघर्ष की सही दिशा में गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सके। अब आगे हमें इस विषय पर व्यापक जागरूकता लानी है। अगर काम मुश्किल है तो इसके लिए दृढ़ संकल्पों की जरूरत है। यह लड़ाई लंबी खिंच सकती है, लेकिन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

Current Assessment of the Situation in the Country Solutions and Way Forward

Current Situation

- There is wide spread corruption in India.
- Deficiency in Anti Corruption Laws/ Institution.
- Existence of Tax Heaven across the world.
- Illegal Indian monies, is also stashed away in these tax heavens.
- Existence of strong agitation in the minds of the people of the country.
- Situation is ripe for the mass movement that is already taking place.

Solutions & Way Forward (with a clear achievable solution mobilizing people is very easy)

- Jan Lokpal Bill (an effective, transparent and independent institution to check corruption)
- Recommendations for further Action Plan on Stolen Assets Recovery

For the ratification of UNCAC following gaps have to be fulfilled (this convention is not merely guideline but is a mutually enforceable agreement :

1) Enactment of a new act for prevention of Bribery in the Private Sector incorporating
    - Clear definition of what constitutes bribery, gratification, lobbying etc.
    - Rules, regulation and processes to be in place regarding checks and control in the organisations
    - Provisions for forfeiture of the illicit money
    - Strong penalties provisions to act as deterrent
    - Provisions relating to bribery to foreign nationals (bill has been now introduced)
2) Strengthening of protection mechanism for the witnesses by strengthening of The Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosure Bill (Whistleblower Act)

    Bribery in private sector bill (the need for definition and enforcement)

- Every budget document has a table on 'revenue foregone' the amount of tax the government does not collect since it is giving some tax concessions.
- The latest figure for revenue foregone in the Budget is Rs. 5, 11,630 crore in the current year, which is around 65% of the total budgeted tax collections and around 6.5% of the year's projected GDP, these are Tax sops
- Similarly there are several issues in the case of SEZ and toll bridges and roads on build operate basis.

Corruption in the NGO Sector

- Philanthropic organizations and NGO's greatly influence public policymaking
- Experts say these resources are being used to further the interests of business. This is especially easy in countries with weak governance
- The $ 23.1 million investment by the Gates Foundation in Monsanto, the world's largest producer of GM seeds, is a small example of a trend
- Concerns aired by agriculturists are finding an echo in another arena like healthcare.
- A strong push for vaccines is underway.
- One such mechanism is the Advance Market Commitments (AMC). The AMC seeks to provide pharmacy companies a captive market for vaccines
- So many bills and acts like Food Security Act, Seeds Act etc are coming in India.

It is said that 80% of future wealth will be in the form of intangible assets like IPR, Patents, copy right, goodwill and structured financial products etc. and physical wealth will comprise of only 20%, we need these laws very urgently to understand valuation of these assets and identify misappropriation.

Along with these we need to fill the Gaps in other existing legislations

- Strengthening of Tax laws like PMLA, DTAA and FCRA etc.
- Prevention of Corruption Act
- Clear Definitions for Bribery etc.
- Fast track process
- Strict penalties
- Confiscation of Property

YAC की 7 फरवरी, 2012 को इंडिया इंटरनेशनल सैंटर में आयोजित चर्चा पर रिपोर्ट

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भ्रष्ट कारोबारी वर्ग, रियल एस्टेट डेवलपर, भ्रष्ट नेता, नौकरशाह और इनकी सार्वजनिक निजी साझीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं एवं एनजीओ के बीच सांठ–गांठ होने से रोका जाए, जिससे काला धन पैदा न हो सके। अन्यथा आने वाले समय में इससे हमारी अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित समस्याएं पैदा होंगी। हाल ही में रायटर्स ने भी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को राजकोशीय अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा और वैश्विक मंदी के संकट से बचना मुश्किल होगा।

कई बड़े संगठन एवं व्यक्ति इस बीमारी को रोकने के भरसक प्रयास कर रहे हैं और कई दस्तावेज आदि पेश किए हैं। गोपाल जी इनमें से ज्यादातर आंदोलनों के करीब से जुड़े हैं, चाहे वह भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जैसा सामाजिक संगठन, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ भारत आंदोलन या भारतीय वित्त सलाहकार समिति जैसे पेशेवर संगठन। इन सभी गतिविधियों के अलावा कई दस्तावेजों के लेखक भी हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित दो दस्तावेज हमारे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी हथियार का रूप लेंगे।

एनजीओ एवं निजी क्षेत्र में घूसखोरी रोधक कानून

भ्रष्टाचार एवं कालेधन के कई आयाम हैं, जिसमें महत्तवपूर्ण पहलू है इसका सृजन। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी हमारी भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली में कई ख़ामियां पाई हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठेके और लाइसेंस आदि के मूल्यांकन के संबंध में तीसरे पक्ष के जरिए तुष्टिकरण और घूसखोरी, सरकारी नीतियों पर चर्चा के जरिए लामबंदी एवं निजी क्षेत्र द्वारा घूसखोरी पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारे कानूनी प्रावधानों में भी खामियां हैं। इन मुद्दों से प्रभावी ढ़ंग से निपटने के लिए हमने निजी क्षेत्र एवं एनजीओ क्षेत्र में घूसखोरी रोधी विधेयक के रूप में विशेष कानूनी प्रावधान सामने रखे हैं, जिसमें सभी शब्दों, मुद्दों और प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इन्हें लागू करने की हमारी पुरजोर मांग है।

फ्लोटिंग वारंट अवधारणा

कर चोरी के पनाहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टैक्स हैवेन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोर्चे पर सूचना के आदान–प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। हम एक ऐसे ''फ्लोटिंग वारंट'' अवधारणा की मांग करते हैं जैसा कि

अमरीका में ''जॉन डो लॉसूट'' के नाम से प्रसिद्ध है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक फ्लोटिंग वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट के आधार पर विदेश में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते हैं, अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। इस तरह से यह वारंट बाद में जब व्यक्ति की पहचान स्थापित होने पर उसके नाम लागू हो जाता है।

इस चर्चा से पहले भी कई उद्योग संगठनों, वकीलों, पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस संबंध में उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जहां इन दस्तावेजों को समर्थन मिला है। इसे काफी अनुसंधान एवं चर्चा के बाद तैयार किया गया है।

यूथ अगेंस्ट करप्शन (YAC) ने इन दोनों मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का भी आग़ाज़ किया है और इस आंदोलन की दो प्रमुख मांगे भी हैं। इन मुद्दों पर एक वृहद चर्चा का आयोजन फरवरी 2012 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों ने इस चर्चा में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये। इन सभी वक्ताओं ने इसका पूरी तरह समर्थन किया था। इस चर्चा की अध्यक्षता श्री सुनील आंबेकर ने की थी। इसमें प्रमुख रुप से श्री वेद प्रताप वैदिक, प्रोफेसर आई.एम. कपाही, श्री अनिल शर्मा, श्री अनिल गुप्ता, श्रीमति रश्मि सिंह, सुश्री मीनाक्षी लेखी, श्री जगदीप धनकर, श्री रजनीश गोयंका, श्री प्रवीन कान्त, डॉ. जी.पी. गुप्ता आदि थे। विषय प्रस्तावना एवं संचालन श्री गोपाल अग्रवाल जी ने किया और उन वक्ताओं के सुझावों पर अमल भी कर लिया गया है।

– सुनील बंसल
राष्ट्रीय संयोजक
यूथ अगेंस्ट करप्शन

चोरीशुदा संपत्ति की बरामदगी पर आगे की कार्ययोजना के लिए सिफारिशें

धन की प्रकृति के आधार पर इसे निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है:

1) भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित धन
2) अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी या आतंकवाद से प्राप्त हुआ धन
3) कर चोरी द्वारा प्राप्त धन

कानूनी प्रकिया का निर्धारण

1) ऐसे धन को जब्त करने के लिए जो भ्रष्ट एवं अवैध गतिविधियों से पैदा हुआ है।
2) कर चोरी के जरिए अर्जित किए गए धन पर देय कर, ब्याज और दंड–राशि का प्राप्त करना।
3) उपरोक्त दोनों ही मामलों में सजा की कानूनी कार्रवाई शुरू करना।

प्रक्रिया

रणनीति के मुताबिक, प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. करों की पहचान, जांच, कर संग्रह और चोरीशुदा धन या संपत्ति को जब्त कर उसे भारत वापस लाने एवं दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना।
2. भारत से बाहर धन को ले जाने एवं आगे सृजित होने से रोकने के लिए नया कानून पेश करना या मौजूदा कानूनों में संशोधन करना और इसकी सूचना एवं जानकारी सतत प्राप्त हो इसका प्रावधान करना।

प्रक्रिया के तहत उठाए जाने वाले कदम

(ए) **यूएनसीएसी का अनुसमर्थन :**

यूएनसीएसी के अनुसमर्थन के लिए निम्ननलिखित कदम उठाने की आवश्यकता पडेगी।

1) निजी क्षेत्र में घूसखोरी रोकने के लिए (जिसके लिए हमने यह मसौदा तैयार किया है) नए कानून को लागू करना

- अवैध धन को जब्त करने के लिए प्रावधान
- निवारक के तौर पर सख्त दंड के प्रावधान बनाना
- विदेशी नागरिकों को घूसखोरी रोकने के संबंध में प्रावधान बनाना।

2) जनहित प्रकटीकरण को मजबूत बनाकर गवाहों के लिए सुरक्षा प्रणाली सुदृढ़ करना और प्रकटीकरण विधेयक को तैयार करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना। (व्हिसिल ब्लोअर एक्ट)।

(बी) जॉन डो समन्स् की तर्ज पर अपराधी की पूर्व पहचान के बगैर एफआईआर दर्ज कराने के लिए फ्लोटिंग वारंट अवधारणा का प्रावधान करना।

(सी) यूएनसीएसी के अनुसमर्थन के बाद स्टार (चोरीशुदा संपत्ति की बरामदगी) प्रणाली के जरिए, विदेशों में अवैध धन के स्वामित्व के संबंध में सूचना हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करना और उसे वापस देश में लाने की प्रक्रिया चालू करना।

(डी) कर चोरी के पनाहगाह बने देशों का इस्तेमाल आगे रोकने के लिए कराधान संबंधी कानूनों को मजबूत करना

- कर चोरी के पनाहगाह बने सभी देशों के साथ दोहरी कराधान बचाव संधियों को लेकर बातचीत करना और उनके साथ ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करना।
- एफएटीएफ (Financial Action Task Force) की सिफारिशों पर आधारित एफआईयू (FIU) को मजबूत करना,
- संदिग्ध लेनदेन की रपटों के जरिए मूल्य हस्तांतरण (Transfer Pricing) पर नियंत्रण करना।

अमेरिका में जॉन डो लॉ मुकदमे का प्रारूप जिसके आधार पर फ्लोटिंग वारंट की अवधारणा की गई है

फ्लोटिंग वारंट की अवधारणा

कर चोरी के पनाहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टैक्स हैवेन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोर्चे पर सूचना के आदान–प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। हम एक ऐसे ''फ्लोटिंग वारंट'' अवधारणा की मांग करते हैं जैसा कि अमरीका में ''जॉन डो लॉसूट'' के नाम से प्रसिद्ध है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक फ्लोटिंग वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट के आधार पर विदेश में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते हैं, अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। इस तरह से यह वारंट बाद में जब व्यक्ति की पहचान स्थापित होने पर उसके नाम लागू हो जाता है।

जॉन डो समन अवधारणा

जॉन डो समन कोई भी ऐसा समन है जहां जांच के अधीन अपराधी अज्ञात है और इसलिए उसकी पूर्व पहचान नहीं की जा सकी है। जॉन डो समन एक फेडरल कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जा सकता है।

जॉन डो समन जारी करने की पाबंदी

जॉन डो समन केवल उच्च दर्जे के ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है जो विशेष तौर पर ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। जॉन डो समन के जरिए अंदाज से अपराधी की पहचान करने की मनाही है। अधिकारी जब एक जॉन डो समन जारी करने के लिए अदालत से अधिकार मांगने का निर्णय करता है तो उस समय उसे सूचना एकत्र करने या अनुसंधान के चरण में नहीं होना चाहिए। अनुसंधान पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुका होना चाहिए ताकि अधिकारी को कर कानूनों के उन्मूलनों में विशेष समस्या का पता लग चुका होना चाहिए। अधिकारी को जॉन डो समन से मिली सूचना के आधार पर विशेष करदाताओं की कर देनदारी का पता लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जॉन डो समन का इस्तेमाल बिना किसी ठोस आधार के नहीं किया जा सकता।

आवश्यक उद्देश्य

जॉन डो समन का मुख्य उद्देश्य एक विशेष अज्ञात करदाता (या ऐसे करदाताओं के समूह) की कर देनदारी की जांच करना है, भले ही दूसरा अनुशांगिक उद्देश्य अनुसंधान के लिए सूचना एकत्र करना है।

नोट

कुछ जांच अभियानों में अधिकारियों के लिए बिना एक जॉन डो समन जारी किए करदाताओं की पहचान हासिल करना संभव नहीं हो सकता है। अगर वह एक ऐसे ज्ञात करदाता (जैसे एक टैक्स शेल्टर प्रमोटर) की जांच कर रहा है, जो एक अज्ञात करदाता या करदाताओं के समूह की पहचान कर सकता है और अज्ञात करदाताओं की पहचान करने में ज्ञात करदाता की जांच प्रासंगिक है तो अधिकारी ज्ञात करदाता की जांच के तहत एक मानक जॉन डो समन जारी कर सकता है ताकि उसे अज्ञात करदाता की पहचान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सके। यह तकनीक वहीं स्वीकार्य है जहां अज्ञात करदाताओं का पता लगाने के लिए ज्ञात करदाता की जांच प्रासंगिक है। इस तरह के समन को दोहरे उद्देश्य वाले समन के तौर पर जाना जाता है।

एक वैध जॉन डो समन के लिए संवैधानिक आवश्यकताएँ

एक जॉन डो समन जारी करने से पहले उच्च अदालत की मंजूरी आवश्यक है। जॉन डो समन जारी करने से पूर्व एक उच्च अदालत द्वारा एकतरफा कार्यवाही के तहत इसे मंजूरी भी दी जा सकती है।

मंजूरी के लिए तीन अतिरिक्त आवश्यकताएं। एक जॉन डो समन को मानक के रूप में उन चार कसौटियों पर अवश्य खरा उतरना चाहिए जो अन्य समन पर लागू होते हैं। उच्च अदालत की मंजूरी के लिए पात्र होने से पहले जॉन डो समन को तीन अतिरिक्त आवश्यकताएं जरूर पूरी करनी चाहिए। इनकी पहचान नीचे की गई है और आगे के पैरा में इनका विश्लेषण किया गया है।

(ए) समन एक विशेष व्यक्ति या पता लगाए जाने वाले समूह या व्याक्तियों के वर्ग की जांच से संबंधित होना चाहिए।

(बी) विभाग के अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए एक उचित आधार होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति या समूह या व्यक्तियों का वर्ग, कर कानूनों का पालन करने में विफल हो सकता है या विफल हुआ है।

(सी) समन के रिकार्ड से जो सूचनाएं एवं पहचान हासिल की जानी हैं वह अन्य स्त्रोतों से सहज उपलब्ध नहीं हो सकतीं।